

## भारत में अंगदान

### प्रलिस के लयि:

[मानव अंग प्रत्यारोपण अधनियम-1994](#), [राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दशा-नरिदेशों](#), अंगदान

### मेन्स के लयि:

अंगदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता

## चर्चा में क्यों?


- भारत में वर्तमान में अंग दाताओं वशिष रूप से मृत दाताओं की भारी कमी के कारण गंभीर स्थति है, जहाँ हज़ारों रोगी प्रत्यारोपण के इंतज़ार में हैं, वही इनमें से काफ़ी लोगों की प्रतदिनि मृत्यु हो जाती है।
  - स्वास्थय और परवार कलयाण मंत्रालय ने पहले [राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दशा-नरिदेशों](#) को संशोधति कयिा है, जसिसे 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मृत दाताओं से प्रत्यारोपण के लयि अंग प्राप्त करने की अनुमति मिलि गई है।
  - भारत में [मानव अंग प्रत्यारोपण अधनियम, 1994](#) मानव अंगों को हटाने एवं उनके भंडारण के लयि वभिन्न नयिम प्रदान करता है। यह चकितिसीय प्रयोजनों के साथ ही मानव अंगों के व्यावसायिक लेन-देन की रोकथाम के लयि मानव अंगों के प्रत्यारोपण को भी नयित्ति करता है।

## भारत में अंगदान की स्थति:

- बढ़ती मांग के साथ नरितर कमी:
  - भारत में **300,000** से अधिक रोगी अंगदान की प्रतीक्षा सूची में हैं।
  - अंग दाताओं की संख्या अंगदान की बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं है।
  - इस कमी के कारण अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में प्रतदिनि लगभग **20** व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है।
- अंग दाताओं की संख्या में धीमी वृद्धि:
  - पछिले कुछ वर्षों में जीवति तथा मृत दोनों दाताओं की संख्या में धीमी वृद्धि देखी गई है।
  - दाताओं की संख्या वर्ष 2014 के **6,916** से बढ़कर वर्ष 2022 में लगभग **16,041** हो गई, जो मामूली वृद्धिका संकेत प्रदर्शति करती है।
  - भारत में मृतक अंगदान की दर एक दशक से लगातार प्रतदिस लाख आबादी पर एक दाता से नीचे बनी हुई है।
- मृतक अंगदान दर:
  - इस कमी को दूर करने के लयि मृतक अंगदान दर को बढ़ाने हेतु तत्काल प्रयास कयि जाने की आवश्यकता है।
  - स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने प्रतदिस लाख आबादी पर **30** से **50** अंगदान दाताओं तक की उच्च अंगदान दर हासलि की है।
- जीवति दाताओं की व्यापकता:
  - भारत में सभी अंगदान दाताओं में से **85%** जीवति अंगदान दाताओं का बहुमत है।
    - हालाँकि मृतकों के अंग दान, वशिषकर कडिनी, लीवर और हृदय के लयि अंगदान दाता काफ़ी कम हैं।
- क्षेत्रीय असमानताएँ:
  - भारत के वभिन्न राज्यों में अंगदान दरों में असमानताएँ मौजूद हैं।
    - तेलंगाना, तमलिनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में मृत अंग दाताओं की संख्या सबसे अधिक है।
    - दल्लि-NCR, तमलिनाडु, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ बड़ी संख्या में जीवति अंगदान दाता हैं।
- कडिनी प्रत्यारोपण:
  - भारत में कडिनी प्रत्यारोपण के मामले में मांग और आपूर्ति के बीच अत्यधिक असमानता है।
  - कडिनी प्रत्यारोपण की वार्षिक **200,000** की मांग की तुलना में प्रतविर्ष केवल **10,000** कडिनी प्रत्यारोपण कयिा जाता है जो कएक बड़ा अंतर है।

## Which organs can be donated?

Percentage refers to respondents' awareness levels



//

### अंगदान के संबंध में चुनौतियाँ:

- जागरूकता और शिक्षा का अभाव:
  - अंगदान और इसके प्रभाव के बारे में आम जनता के बीच कम जागरूकता।
  - संभावित दाताओं की पहचान करने और परिवारों को प्रभावी ढंग से परामर्श देने के लिये चिकित्सा पेशेवरों के बीच अपर्याप्त शिक्षा।
- पारिवारिक सहमति और नरिणय लेना:
  - परिवार अंगदान के लिये सहमति देने के अनिच्छुक होते हैं, भले ही मृत व्यक्तियों ने अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की हो।
  - अंगदान के बारे में नरिणय लेते समय परिवारों को भावनात्मक और नैतिक दुवधियों का सामना करना पड़ता है।
- अंगों की तस्करी और कालाबाजारी:
  - अवैध अंग तस्करी और अंगों की कालाबाजारी।
  - अंगों की मांग का शोषण करने वाली आपराधिक गतिविधियाँ वैध अंगदान प्रक्रियाओं को कमजोर करती हैं।
- चिकित्सा पात्रता एवं अनुकूलता:
  - चिकित्सा अनुकूलता और अंग उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त दाताओं और प्राप्तकर्ताओं को सुमेलित करना।
  - संगत अंगों की सीमति उपलब्धता, जिससे रोगियों को दीर्घावधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
- दाता प्रोत्साहन और मुआवज़ा:
  - अंग दाताओं को वित्तीय प्रोत्साहन या मुआवज़ा देने के नैतिक नहितार्थ पर बहस।
  - नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के साथ अंगदान दरों में वृद्धि की आवश्यकता को संतुलित करना।
- अवसंरचना और संचालन:
  - अंग पुनर्प्राप्ति, संरक्षण और प्रत्यारोपण के लिये अपर्याप्त अवसंरचना और संसाधन।
  - दाताओं से प्राप्तकर्ताओं तक विशेषकर वभिन्न क्षेत्रों में अंगों के समय पर परिवहन में चुनौतियाँ।

### नए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दशा-नरिदेशों की मुख्य विशेषताएँ:

- आयु सीमा समाप्त करना:
  - जीवन प्रत्याशा में सुधार के कारण अंग प्राप्तकर्ताओं के लिये आयु सीमा समाप्त कर दी गई।

- **राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ and Tissue Transplant Organization- NOTTO)** के दशिया-नरिदेशों ने पहले 65 वर्ष से अधिक आयु वाले रोगियों को अंग प्रत्यारोपण के लिये पंजीकरण करने से रोक दिया था ।
- **अधवास की आवश्यकता न होना:**
  - अंग प्राप्तकर्त्ता पंजीकरण के लिये अधवास की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया ।
  - **'एक राष्ट्र, एक नीति (One Nation, One Policy)'** दृष्टिकोण रोगियों को कसी भी राज्य में अंग प्रत्यारोपण के लिये पंजीकरण करने की अनुमति देता है ।
- **कोई पंजीकरण शुल्क न होना:**
  - अंग प्राप्तकर्त्ता के पंजीकरण के लिये पंजीकरण शुल्क समाप्त कर दिया ।
  - गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल राज्य अब रोगी पंजीकरण के लिये शुल्क नहीं लेते हैं ।

नोट:

- NOTTO की स्थापना नई दलिली में स्थिति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) के स्वास्थ्य सेवा महानदिशालय (**Directorate General of Health Services**) के तहत की गई है ।
- NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग भारत में अंगों और ऊतकों के दान तथा प्रत्यारोपण हेतु खरीद, वतिरण एवं रजसिद्री आदि गतिविधियों के लिये शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है ।

## आगे की राह

- अंगदान के महत्त्व को उजागर करने वाले प्रभावशाली अभयिनों के लिये **कलाकारों, प्रभावशाली लोगों और मशहूर हस्तियों** के साथ साझेदारी करना ।
- चकितिसा पेशेवरों के लिये सेमिनार आयोजति करना, **दाता की पहचान और परिवार परामर्श के लिये इंटरैक्टिवि समिलेशन एवं केस स्टडीज़ का उपयोग करना** ।
- कार्यशालाओं और वार्ताओं के माध्यम से अंगदान के बारे में **छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने** के लिये शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करना ।
- **समुदाय-संचालति उन कार्यक्रमों (Community-Driven Events)** की मेज़बानी करना जो अंग प्राप्तकर्त्ताओं और दाताओं की सफलता की कहानियों को प्रदर्शति करते हैं ।
- **अंगदान के बारे में मथिकों और गलत धारणाओं को दूर करने तथा इसके सकारात्मक पक्ष पर ज़ोर देने** के लिये धार्मिक नेताओं को शामिल करना ।
- **पट्टिकाओं और प्रमाणपत्रों के माध्यम से उनके नसिवार्थ योगदान को मान्यता देते हुए अंगदान दाताओं तथा उनके परिवारों को सम्मानति करने** के लिये कार्यक्रम शुरु करना ।
- कुशल परिणामों के लिये अंग प्रत्यारोपण प्रक्रयिओं को अनुकूलति करने हेतु स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ।
- **करुणा और सहानुभूति के साथ नसिवार्थ कार्य के रूप में अंगदान के वचिार को बढ़ावा देना** । स्रोत:

[स्रोत: द हट्टि](#)